रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220722 CG-DL-E-28072020-220722

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] No. 365] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2020/SHRAVANA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115पख की उपधारा (7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (18 वां संशोधन) नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में,-
- (क) नियम 12 गख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "12गख. धारा 115 पख की उपधारा (7) के अधीन विवरण-
- (i) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिट धारक को संदत्त या जमा की गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि की ओर से जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा –

3329 GI/2020 (1)

- (ii) यूनिट धारक को, पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान विनिधान निधि की ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप में आय-कर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से जनरेट और अपलोड करने के पश्चात्, संदत्त या जमा की गई आय, ऐसी रीति में जो उसमें उपदर्शित की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 30 जून तक, और
- (ii) यथास्थिति, आय-कर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को जिसकी अधिकारिता की भीतर विनिधान निधि का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, को पूर्ववर्ती वर्ष जिसके दौरान किसी लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित प्ररूप संख्या 64घ में इलैक्ट्रानिकली डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा की गई है, के पश्चात् वित्तीय वर्ष के 15 जून तक दिया जाएगा।
- (2) यथास्थिति, आय-कर (प्रणाली) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाली) का महानिदेशक,-
 - (i) प्ररूप 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दी गई संदत्त या जमा की गई आय के विवरणों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय या पुन: प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा; और
 - (ii) प्ररूप 63ग में उसके द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से विवरण को जनरेट और डाउनलोड करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों को जनरेट और डाउनलोड करने के संबंध में दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) परिशष्ट- 2 में प्रपत्र संख्या 64ग और प्रपत्र संख्या 64घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखे जाएंगे ,-

".प्रपत्र संख्या 64ग

[(नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (i)देखें)]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन यूनिट धारक को उपलब्ध कराई जाने वाली विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण

- 1. यूनिट धारक का नाम:
- 2. यूनिट धारक का पता:
- 3. यूनिट धारक का स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्यांक:
- 4. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो:
- 5. विनिधान निधि का नाम और पता:
- 6. विनिधान निधि का स्थायी लेखा संख्यांक:
- 7. पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान यूनिट धारक को विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई [धारा 115 पख की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन हुई हानि की अनदेखी करने के पश्चात] आय या हानि के ब्यौरे:

(रुपए में)

क्र.सं.	संदत्त	संदाय		आय के शीर्षों के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम का ब्रेकअप							
	या जमा	या जमा	कारबार	दीर्घाः	वधि पूंजी ला	म	अल्पा	वधि पूंजी ला	भ	अन्य	स्रोत
	की	करने	या वृत्ति'	धारा 112 क के	(धारा 112 क से	20%	<i>धारा</i> 111क के	30% दर पर प्रभार्य	लागू	'लाभांश'	अन्य
	गई रकम	की तारीख		ा ।∠ क क अधीन	। 12 क स भिन्न)	दर पर	111क क अधीन	पर प्रमाय	दर पर	[धारा 115ण में	<i>(कृपया</i> धारा
				10% दर पर प्रभार्य	10 <i>% दर</i> पर प्रभार्य	प्रभार्य	15% दर पर प्रभार्य		प्रभार्य	निर्दिष्ट]*	विनिर्दिष्ट
				पर प्रमाय	। पर प्रमाय		<i>पर प्रमाय</i>				करें यदि कर विशेष
											पर 1यराय दर पर

											लगाया गया हो)
			आय	आय/हानि	आय/हानि		आय/हानि	आय/हानि		आय	आय/हानि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

^{*&#}x27;[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा । .

8. धारा 115 पख की उपधारा (2क) के निबंधानानुसार 31 मार्च , 2019 (31 मार्च , 2019 यूनिट धारण करने वाले यूनिट धारक को दिया जाए) को हुई समझी गई हानि के ब्यौरे:

(रुपए में)

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय के शीर्षों के अधीन हुई समझी गई हानि का ब्रेकअप					
яν. α.		'दीर्घावधि पूंजी लाभ	'अल्पावधि पूंजी लाभ'				
(1)	(2)	(3)	(4)				

मैं,	़ (पूरा नाम साफ अक्षरों में) पुत्र/ पुत्री/ पत्नी
श्री/श्रीमती/सुश्रीसत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ भी	ो ऊपर और उपाबंध (उपाबंधों) में कथन किया
गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे उपबंध (उपाबंधों) के साथ संलग्न दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तग	म जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और
पूर्ण है । मैं और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूँ / रही हूँ
और मैं ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापपित करने के लिए सक्षम हूँ	
आज तारीखको सत्यापित	
स्थान	
	हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 64घ

[नियम 12गख के उपनियम (1) का खंड (ii) देखें|

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115पख के अधीन दी जाने वाली विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा की गई आय का विवरण

- 1. विनिधान निधि का नाम:
- 2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
- 3. विधिक प्रास्थिति[कंपनी/ न्यास/सीमित दायित्व भागीदारी/ निगमित निकाय:
- 4. स्थायी लेखा संख्यांक:
- 5. पूर्ववर्ती वर्ष जब समाप्त हो रहा हो:
- 6. विनिधान निधि के निदेशकों / न्यासियों/भागीदारों के नाम और पते*:

क्र. सं.	नाम	पता	स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्यांक
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) यदि भारत के	प्रतिभूति और विनिय	म बोर्ड (अनुकल्पी	विनिधान निधि)	विनियम,	2012 के	अधीन
प्रतिभूति और विनियम	म बोर्ड के पास अनुकल्पी	विनिधान के रूप	में रजिस्ट्रीकृत है :			

हां/नहीं*

(ii) यदि हां, निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(a) यदि वर्ग I/ II के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं : हां/नहीं*

(b) रजिस्ट्रीकरण संख्या :

(c) रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

8. (क) पूर्ववर्ती वर्षके दौरान विनिधान निधि की कुल आय :

(ख) [निम्नलिखित सारणी के प्रत्येक शीर्ष के स्तंभ (7) के अधीन कुल रकम] कुल आय का ब्रेकअप:

क्र.सं.	शीर्ष के	आय / हानि			धारा 115पख की	धारा 115पख की
	अधीन	रकम	गैर निवासी युनिट धारक के विनिधान में से अपतट विनिधान	कुल [(2) में से (3) घटाकर]	उपधारा (2) के अनुसार हानि मुजरा की जाए	उपधारा (2) के निबंधनों में मुजरा हानियों के पश्चात् कुल आय /हानि [(5में से (6) घटाकर]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ					
2.	दीर्घावधि पूंजी लाभ[धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य (धारा 112क से भिन्न 20% दर पर प्रभार्य					
3.	अल्पकालिक पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% /30% लागू दर पर प्रभार्य]					
4.	अन्य स्रोतों से आय (लाभांश/अन्य (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)					

9. (i) पूर्ववर्ती वर्ष की हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, धारा 115पख की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के अनुसार अनदेखी किया जाना अपेक्षित है ,-

(क) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (i) का उपखंड (ख):

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम
(1)	(2)	(3)
	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ	

(ख) धारा 115पख की उपधारा (2) का खंड (ii) :

क्र.सं.	आय का शीर्ष	हानि की रकम			
(1)	(2)	(3)			

(ii) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हों:

क्र.सं.	अग्रणीत लाई गई हानि के ब्यौरे, यदि कोई हों				गली हानि
				[(5) में से (6) घ	ाटाकर]
	निर्धारण वर्ष	रकम		निर्धारण वर्ष	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(iii) विभिन्न शीर्षों के अधीन उपरोक्त (ii) पर हुई हानियों का मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक आय (सारणी के स्तंभ (7) में पैरा 8(ख) के अधीन-----रकम मुजरा करने के पश्चात् कुल धनात्मक रकम) ;

(क) 'कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन आय:

क्र. सं.	रकम	अनुपात (स्तंभ (2) / उपरोक्त 9(iii) पर रकम
(1)	(2)	(3)

(ख) 'पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात
			[स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
3	दीर्घावधि पूंजी लाभ [20% दर पर प्रभार्य]		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य]		
5	अल्पावधि पूंजी लाभ [30% दर पर प्रभार्य]		
6	अल्पावधि पूंजी लाभ [लागू दर पर प्रभार्य]		

(ग) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन आय :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात
			[स्तंभ 3/उपरोक्त 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115-ण में निर्दिष्ट]*		
2.	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

^{*&#}x27;[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा ।

10. 31 मार्च, 2019 को विनिधान निधि के स्तर पर संचित कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी अन्य हानि, यदि कोई हो, के ब्यौरे :

निर्धारण वर्ष	आय के विभिन्न शीर्षों के अधीन हानि की रकम					
ानवारण वष	दीर्घावधि पूंजी लाभ	अल्पावधि पूंजी हानि	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)			
2016-2017						
2017-2018						
2018-2019						
2019-2020						
कुल						

11. उपरोक्त 9(i)(ख) में हानि की अनदेखी करने के पश्चात् विभिन्न शीर्षों के अधीन कुल हानि [उपरोक्त सारणी के स्तंभ (7) में 8(ख) के अधीन----- कुल नकारात्मक रकम]:

(i) 'पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात
			[स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
2	दीर्घावधि पूंजी लाभ [धारा 112क से भिन्न के अधीन 10% दर पर प्रभार्य]		
3	दीर्घावधि पूंजी लाभ [20% दर पर प्रभार्य]		
4	अल्पावधि पूंजी लाभ [धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य]		
5	अल्पावधि पूंजी लाभ [30% दर पर प्रभार्य]		
6	अल्पावधि पूंजी लाभ [लागू दर पर प्रभार्य]		

(ii) 'अन्य स्रोत' शीर्ष के अधीन हानि :

क्र. सं.	वर्ग	रकम	अनुपात
			[स्तंभ 3/उपरोक्त क्र. सं. 11 पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अन्य स्रोत (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कर विशेष दर पर लगाया गया हो)		

12. धारा 115पख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट यूनिट धारक होते हुए ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे, जिसके द्वारा आय प्राप्त की गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है, ऐसी दशा मैं जहां -

(i) धनात्मक आय है:

क्र. सं.	यूनिट धारक का	पता	पैन/ आधार सं.	संदत्त/ जमा की गई/ जमा	'कारबार या वृत्ति' शीर्ष के	'दीर्घावधि पूंर्ज	ो लाभ' शीर्ष के उ	अधीन आय	'अल्पावधि	पूंजी लाभ' शीर्ष [ः]	के अधीन आय	'अन्य स्रोत अधीन	त' शीर्ष के ा आय
	नाम			की गई समझी गई कुल धनात्मक आय	अधीन आय [स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iii)(क) पर सारणी का स्तंभ 3(1)]	धारा 112क के अधीन 10 % दर पर प्रभार्य [स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(1]	धारा 112क से भिन्न के अधीन 10 % दर पर प्रभार्य [स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iii)(ख) पर सारणी का स्तंभ 4(2)]	20% दर पर प्रभार्य स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iii) (ख) पर सारणी का स्तंभ 4(3)]	धारा 111क के अधीन 15% दर पर प्रभार्य [स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iiiख) पर सारणी का स्तंभ 4(4)]	30% दर पर प्रभार्य [स्तंभ 5x क्र. सं. 9(iii)(ख)पर सारणी का स्तंभ 4(5)]	लागू दर पर प्रभार्य [स्तभ 5x क्र. सं. 9(iii)(ख)पर सारणी का स्तंभ 4(6)]	'लाभांश' [धारा 115ण में निर्दिष्ट]* [स्तभ 5x क. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(1)]	अन्य स्रोत स्तभ [5x क्र. सं. 9(iii)(ग) पर सारणी का स्तंभ 4(2)] (कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि विशेष दर पर कर लगाया गया हो)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

^{*&#}x27;[निर्धारण वर्ष 2021-22 से (धारा 115ण में निर्दिष्ट) लोप किया जाएगा ।

(ii) धारा 115पख की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार 12 मास से अधिक के लिए धारित यूनिटों के संबंध में हानि है :

豖.	यूनिट	पता	पैन/आधार	संदत्त/	'दीर्घावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन			'अल्पावधि पूंजी लाभ' शीर्ष के अधीन हानि			अन्य
सं.	धारक		सं.	जमा की		हानि					स्रोत
	का			गई/	धारा	धारा	20%	धारा 111क	30% दर	लागू दर	शीर्ष के
	नाम			जमा की —	112क के	112क से	दर पर	के अधीन	पर प्रभार्य	पर प्रभार्य	अधीन
				गई समझी	अधीन 10	भिन्न के	प्रभार्य	15% दर पर	[स्तंभ 5x	[स्तभ 5x	हानि
				गई कुल	% दर पर	अधीन 10	[स्तंभ	प्रभार्य [स्तंभ	क्र. सं.	क्र. सं.	[स्तभ 5x
				1 4 3.11	प्रभार्य	%दर पर	- 5x	5x क्र. सं.	11(i)पर	11(i)पर	क्र. सं.

				हानि	[स्तंभ 5x	प्रभार्य	सं.	11(i)पर	सारणी का	सारणी का	11(ii)
					क्र. सं.	[स्तंभ 5x	11(i)	सारणी का	स्तंभ 4(5)]	स्तंभ	पर
					11(i)पर	क्र. सं.	पर	स्तंभ 4(4)]		4(6)]	सारणी
					सारणी का	11(i)पर	सारणी				का स्तंभ
					स्तंभ 4(1]	सारणी का	का				4(1)]
						स्तंभ	स्तंभ				
						4(2)]	4(3)]				
						` /3					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(iii) 31 मार्च, 2019 को धारा 115पख की उपधारा (2क) के खंड (ii) के निबंधनानुसार समझी गई हानि है -#:

निर्धार	ण वर्ष*					
क्र.	यूनिट	पता	पैन/आधार	'दीर्घावधि पूंजी लाभ ' शीर्ष के अधीन	'अल्पावधि पूंजी लाभ ' शीर्ष के	कुल
सं.	धारक का		सं0	हानि	अधीन हानि	
	नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

- # निर्धारण वर्ष 2020-21 से उपरोक्त बिन्दु (iii) का लोप किया जाएगा ।
 - प्रत्येक निर्धारण वर्ष (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020 पृथकत: भरा जाए).

करें।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न

सपराक्षित लख, जिनक अंतर्गत तुलनपत्र, वाषिक रि	रपाट, याद काइ हा, आय क सदाय या उ	भ्राय क जमा (६	गरा 115पख(6) व	<i>उपबधा</i>
के अनुसार जमा की गई समझी गई रकम सहित) आ	य और विनियोग की सत्यापित प्रतिलिपि	मे सहित प्रति स	ंलग्न करें].	
में,			(पूरा	नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी(श्री/श्रीमती/सुश्री)		सत्यनिष्ठापूर्वक	घोषणा
करता हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर उपाबंध (उप	ाबंधों) में कथन किया गया है, जिसके अ	ांतर्गत ऐसे उपव	बंध (उपबंधों) के स	ाथ संलग्न
दस्तावेज हैं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्व	ास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं ।	मैं घोषणा व	रता हूं/करती हूं	कि ऐसे
विवरण(पदनाम) के र	रूप में अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही ह्	हूं और ऐसे विव	ारण देने और उसे स	त्रत्यापित
करने के लिए सक्षम हूं ।				
आज तारीखको सत्यापित ।				
स्थान हस्ताक्षर				
	सत्यापन			
मैंने/हमने		ो समाप्त होन	ने वाले पूर्ववर्ती	वर्ष के
लिए (अनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) द्वा	रा यूनिट धारक को संदत्त/जमा की गई ः	आय (धारा 11	5पख के उपबंधों के	अनुसार
जमा की गई समझी गई रकम सहित) और अर्जित अ	गय की विशिष्टियों को दर्शाने वाली लेख	ा बहियों और	अन्य दस्तावेजों की	ो परीक्षा

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

स्थान					(लेखाक	ार का नाम	और हरू	ताक्षर)	
तारीख									
टिप्पण • १	"लेखाकार" से आगक	र अधिनिगम 1	961 की धारा	288 की उप	भारा (2) के नीचे :	சபதிக்சய	में ग्रशा ए	मिश्रा	नि

टिप्पण : 1. "लेखाकार" से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार अभिप्रेत है ।

2. सभी रकम भारतीय रुपए में वर्णित की जाएं।

*जो लागू न हो ,उसे काट दें। ".

[अधिसूचना सं. 55/2020/ फा. सं.142/22/2015-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचित (कर नीति और विधान अनुभाग)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. 464(अ) तारीख 24 जुलाई, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2020

INCOME-TAX

- **G.S.R.** 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 115UB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (18th Amendment) Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962,-
 - (a) for rule 12CB, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "12CB. Statement under sub-section (7) of section 115UB.—(1) The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of an investment fund and the investment fund to the-
 - (i) unit holder by 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64C after generating and downloading the same from the web portal specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him and duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the investment fund in the manner indicated therein; and
 - (ii) Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax, as the case may be, within whose jurisdiction the Principal office of the investment fund is situated by 15th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited, electronically under digital signature, in Form No. 64D duly verified by an accountant in the manner indicated therein.
 - (2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the,-

- (i) procedure for filing of Form No. 64D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule; and
- (ii) procedure, formats and standards for generation and download of statement in Form No. 64C from the web portal specified by him or by the person authorised by him and he shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him."
- (b) in Appendix-II, for Form No. 64C and 64D, the following Forms shall be substituted, namely: -

"FORM NO. 64C

[See clause (i) of sub-rule (1) of rule 12CB)]

Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under section 115UB of the Income-tax Act, 1961

- 1. Name of the unit holder:
- 2. Address of the unit holder:
- 3. Permanent Account Number/AADHAAR of the unit holder:
- 4. Previous year ending:

S.

Assessment year

- 5. Name and address of the Investment Fund:
- 6. Permanent Account Number of the Investment Fund:
- 7. Details of the income or loss [after ignoring the loss under clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB] paid or credited by the Investment Fund to the unit holder during the previous year:

(In Rs)

S.	Amount	Date of			Вгеакир	of Amount pa	id/ credited under	Heads of Income				
No.	paid or credited	payment or credit	'Business or	'Long	'Long Term Capital Gain'			'Short Term Capital Gain'			'Other Sources'	
			Profession'	Chargeable @10% w/s 112A	Chargeable @10% (other than section 112A)	Chargeab le @20%	Chargeable @15% 111A	Chargeable @30%	Chargeable at applicable rate	'Dividend' [referred to in Section 1150]*	Others (Please specify section if taxed at special rate)	
			Income	Income/ Loss	Income/ Loss		Income/ Loss	Income/ Loss		Income	Income/ Loss	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			L									

^{*&#}x27;[referred to in Section 1150]' shall be omitted with effect from the Assessment year 2021-22.

8. Details of deemed loss as on 31^{st} March, 2019 in terms of sub-section (2A) of section 115UB (to be passed to the unit holder holding unit on 31^{st} March, 2019):

Breakup of deemed loss under Heads of Income

(In Rs)

IVO.		Long Term Capital Loss	Snort Term Capital Loss
(1)	(2)	(3)	(4)
I,		,	ame in full and in block letters) son/
			ereby solemnly declare that to the best
-	_	ef what is stated above and in the Annexure(s), inc	
such A	* * * *	et and complete. I further declare that I am furnish	
	(d	esignation) and that I am competent to furnish this st	tatement and verify it.
Verifi	ed today the	day of	
Place			

Č

Signature

FORM NO. 64D

[See clause (ii) of sub-rule (1) of rule 12CB]

Statement of income paid or credited by investment fund to be furnished under section 115UB of the Incometax Act, 1961

- 1. Name of the Investment Fund:
- 2. Address of the registered office:
- 3. Legal status [company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate:
- 4. Permanent Account Number:
- 5. Previous year ending:
- **6.** Name and address of the Directors/ Trustees/ Partners of the Investment fund*:

S. No	Name	Address	PAN/ AADHAAR
(1)	(2)	(3)	(4)

7. (i) Whether registered as Alternative Investment Fund with Securities and Exchange Board of India under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012:

Yes/No*

(ii) If yes, furnish following details:

(u) whether registered as Category 1/11 . Tes/Inc	(d)	Whether registered as Category I/ II	: Yes/No [*]
---	-----	--------------------------------------	-----------------------

(e) Registration number :

(f) Date of registration :

- **8.** (a) Total income of Investment Fund during the previous year:
 - (b) Break-up of total income [aggregate of amounts under column (7) of the following table for each head]:

S.			Income/ Loss	Loss to be set	Net Income/	
No.		Amount	from Off-shore investment out of the investment of non- resident unit holder	Net [(2) minus (3)]	off in accordance with sub- section (2) of section 115UB	loss after set-off of losses in terms of sub- section (2) of section 115UB [(5) minus (6)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Profit and gains of business or profession					
2.	Long Term Capital Gains [Chargeable @10% u/s 112A/ @10% (other than section 112A)/ at @20%]					
3.	Short Term Capital Gains [Chargeable @15% u/s 111A/ @30%/ at applicable rate]					
4.	Income from other sources (Dividend/ Others) (Please specify section if taxed at special rate)					

- **9.** (i) Details of losses of the previous year, if any; required to be ignored for purposes of sub-section (1) of section 115UB in accordance with,-
 - (a) sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)
	Profit and gains of business or profession	

(b) clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)

(ii) Details of losses under the head "Profit and gains of business or profession", if any;:

S. No.	Details of brought forward loss, if any,		Amount of income/ loss during the previous year after set-off [in accordance with section 115UB(2)]	forv	ss to be carried ward nus (6)]
	Assessment Year	Amount		Assessment Year	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(a) Income under head 'Profit and gains of business or profession':

S. No.	Amount	Proportion [Column 2/ Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)

(b) Income under head 'Capital Gain':

S.	Category	Amount	Proportion
No.			[Column 3/ Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Long Term Capital Gain [Chargeable @10% u/s 112A]		
2	Long Term Capital Gain [Chargeable @10% (other than section 112A)]		
3	Long Term Capital Gain [Chargeable @20%]		
4	Short Term Capital Gain [Chargeable @15% u/s 111A]		
5	Short Term Capital Gain [[Chargeable @30%]		
6	Short Term Capital Gain [Chargeable at applicable rate]		

(c) Income under the head 'Other Sources':

[भाग II—खण्ड 3(i)]

S. No	Category	Amount	Proportion [Column 3/Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dividends [referred to in Section 115-O]*		
2.	Others (Please specify section if taxed at special rate)		

^{*&#}x27;[referred to in section 1150]' shall be omitted with effect from the assessment year 2021-2022.

10. Details of loss other than the loss under the head "Profits and gains of business or profession", if any, accumulated at the level of investment fund as on 31st March, 2019:

Assessment	Amount of Loss under various Heads of Income		
Year	Long Term Capital Loss	Short Term Capital Loss	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-2017			
2017-2018			
2018-2019			
2019-2020			
Total			

- 11. Aggregate of loss under various heads after ignoring the loss in 9(i)(b) above [aggregate of the negative amounts in column (7) of the table under 8(b)]:
 - (i) Loss under head 'Capital Gain':

S. No.	Category	Amount	Proportion [Column 3/Amount at s no. 11]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Long Term Capital Gain [Chargeable @10% u/s 112A]		
2	Long Term Capital Gain [Chargeable @10% (other than section 112A)]		
3	Long Term Capital Gain [Chargeable @20%]		
4	Short Term Capital Gain [Chargeable @15% u/s 111A]		
5	Short Term Capital Gain [Chargeable @30%]		
6	Short Term Capital Gain [Chargeable at applicable rate]		

(ii) Loss under the head 'Other Sources':

S. No	Category	Amount	Proportion [Column 3/ Amount at s no. 11]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Other sources		
	(Please specify section if taxed at special rate)		

12. Details of person being a unit holder, referred to in sub-section (1) of section 115UB by whom the income or loss is received or in whose name it has been credited in a case where,-

(i) there is positive income:

S. No.	Name of Unit Holder	Address	PAN/ AADHAAR	Total Amount of positive	Income under the head 'Business or Profession		er the head 'Long T Gains'			ne head 'Short Terr		Income under the Source	es'
				income paid/ credited/ Deemed to be credited	[Column 5 × Column 3(1) of Table at s.no. 9(iiia)]	Chargeable @ 10% u/s 112A [Column 5 × Column 4(1) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	Chargeable @10% (other than section 112A) [Column 5 × Column 4(2) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	Chargeable @ 20% [Column 5 × Column 4(3) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	Chargeable @ 15% u/s 111A [Column 5 × Column 4(4) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	Chargeable @ 30% [Column 5 × Column 4(5) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	Chargeable at applicable rate [Column 5 × Column 4(6) of Table at s.no. 9(iii)(b)]	'Dividend' [referred to in Section 115- O]*[Column 5 × Column 4(1) of Table at s.no. 9(iii)(c)]	Others [Column 5 × Column 4(2) of Table at s.no. 9 (iii)(c)] (Please specify section if taxed at special rate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4.15												

^{*&#}x27;[referred to in Section 1150]' shall be omitted with effect from the Assessment year 2021-2022.

(ii) there is loss in respect of units held for more than 12 months as per clause (b) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Name of Unit	Address	PAN/ AADHAAR	Total	Loss under the head 'Long Term Capital Gains'			Loss under the	Loss under the head		
	Holder			Amount of loss paid/ credited/ Deemed to be credited	Chargeable @10% u/s 112A [Column 5 × Column 4(1) of Table at s.no. 11(i)]	Chargeable @10% (other than section 112A) [Column 5 × Column 4(2) of Table at s.no. 11(i)]	Chargeable @20% [Column 5 × Column 4(3) of Table at s.no. 11(i)]	Chargeable @15% u/s 111A [Column 5 × Column 4(4) of Table at s.no. 11(i)]	Chargeable @30% u/s [Column 5 × Column 4(5) of Table at s.no. 11(i)]	Chargeable at applicable rate [Column 5 × Column 4(6) of Table at s.no. 11(i)]	'Other Sources' [Column 5 Column 4(1) of Table at s.no. 11(ii)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											1

(iii) there is deemed loss as on 31st March, 2019 in terms of clause (i) of sub-section (2A) of section 115UB[#]:

Asses	ssment yea	ır*				
S. No.	Name of Unit Holder	Address	PAN/ AADHAAR	Loss under the head 'Long Term Capital Gains'	Loss under the head 'Short Term Capital Gains'	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Point (iii) above shall be omitted with effect from the Assessment Year 2020-2021.

Attach a copy of the certificate of registration under Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.

Attach audited accounts including balance sheet, annual report, if any, with certified copies of income and appropriation towards payment of income or credit of income [including amount deemed to have been credited in accordance with provisions of sub-section (6) of section 115UB].

I,		(Nam	e in full	and in	block
letters) son/daughter/wife of		do hereby	solemnly	declare tl	nat to
the best of my knowledge and belief what	is stated above and in	the Annexure(s),	including t	he docui	ments
accompanying such Annexure(s), is correct and	d complete. I further declar	re that I am furnish	ing such st	atement i	in my
capacity as	(designation) and that I a	am competent to f	urnish this	statemen	ıt and
verify it.					

^{*} To be filled separately for each assessment year (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 and 2019-2020).

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	15
Verified today the	day of	
Place S	ignature	
	Verification	
other documents showing the p to have been credited in accor-	articulars of income earned and the inconduction dance with provisions of sub-section (6 (name of	have examined the books of account and me paid/ credited [including amount deemed of of section 115UB] to the unit holder by the Alternative Investment Fund) for the
2. I/We declare that the above p	articulars are true and correct to the best of	of my/our knowledge and belief.
Place		(Signature with name of the accountant)
Date		
Notes: 1. "Accountant" shall section 288 of the Income-tax A		in the Explanation below sub-section (2) of

2. All amount to be mentioned in Indian rupees.

[Notification No. 55/2020/ F. No.142/22/2015-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number 464(E) dated the 24th July, 2020.

^{*} Strike out whichever is not applicable. ".